न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	2/2/17 वुकलाय फरीकेन एवं श्रीमान P.O. साहब दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 30.3.17 को उनके समक्ष पेश हो।
	रीडर
	30/3/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक 24-4-17 को पेश हो।
	~~एस डी ओ~~/ रीडर
	24/4/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक 8-6-17 को पेश हो।
	~~एस डी ओ~~/ रीडर
	8/6/17 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। आज तक डिक्री की पालना में रिकॉर्ड पटवारी के अनुसार इन्तकाल सं. 458 दर्ज व स्वीकार हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई पालना अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
310 / 2012	06.12.2012	21-01-2016

उनवान

1. दुलीचन्द
2. जयनारायण
3. रमेशचन्द
4. शीशराम
5. पतराम उर्फ पप्पू पुत्रान दूधा जाति गुर्जरान निवासी ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
6. भगोती
7. रेशम
8. हंसो
9. जागो पुत्रीयान दूधा गुर्जरान निवासियान ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकामि जिला अलवर (राज0)

:– वादीगण

बनाम

1. तिरखा पुत्र जीवन (मृतक)

1/1 धोली

1/2 केला

1/3 धन्नो पुत्रीयान तिरखा

2. ताराचन्द (मृतक)

2/1 रोहताश

2/2 पूरणमल पुत्रान ताराचन्द

3. देवकरण
4. जगराम पुत्रान जीवन
5. भरता दत्तक पुत्र रामदत
6. फकीरचन्द

भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

7. मामचन्द
8. प्रहलाद पुत्रान कालू
9. छाजीबाई
10. बरफो पुत्रीयान कालू
11. मक्खन पुत्र खूबा
12. बनारसी पत्नी श्योनारायण जाति गुर्जरान निवासी ग्राम बैराहेड़ी
13. फूलवती उर्फ भगोती पत्नी जैलूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
14. सतपाल पुत्र रामकुंवार गुर्जर ग्राम झड़झीला तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर (राज0)
15. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा हरसौली जर्ये शाखा प्रबंधक हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
16. पंजाब नेशनल बैंक हरसौली जर्ये शाखा प्रबंधक हरसौली
17. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो अन्तर्गत
धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः
1. श्री रामफल यादव अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री गिरधारीलाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

पूर्व निर्णित दावा दिनांक 11.11.2014 में प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार होने पर यह दावा पुनः सुनवाई कर निर्णित किया जाता हैं।

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये है कि विवादित आराजी हाल ख0 नम्बरान 58/0–05, 92/0.08, 96/0.12, 97/0–01, 98/0–13, 99/0–11, 111/0.07, 112/1–04, 113/1.08, 169/0–06, 170/0.07, 171/0–06, 172/0.07, 173/0.07, 175/0.11, 176/0.12, 177/0.11, 178/0.09, 179/0.09, 254/0.14, 269/0.10, 286/0.13, 297/0.12, 336/0.06, 359/0.06, 369/0.10, 370/0.10, 370/505/0.09, 371/0.12, 391/0.08, 392/0.09, 421/0.07, 436/0.11, 449/0.09, 489/0.11, 490/0.13, 491/0.13, 492/0.15, 493/0.15, 268/0.08, 390/0.08, 393/0.08, 57/0.05, 60/1.18, 496/0.09, 497/0.10, 498/0–07, 499/0.07, 495/0.08, 110/1.03, 109/0.09 बीघा वाके ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) में स्थित है। जो रामदत, कालू, दूधा, जीवन, पुत्रान बुधा चार हिस्सा व मक्खन पुत्र खूबा एक हिस्सा कुल हिस्से की अर्थात 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 भाग खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी और इसी कदर मौका पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी मृतक दूधा का 1/5 भाग कब्जा काश्त खातेदारी का था जिस पर स्वयं काबिज काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद मिन वादीगण 1/5 भाग पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करते आ रहे है। मौके पर वास्तविक कब्जा है। विरासत का इंतकाल मिन वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है। विवादित आराजी की बाबत जमाबंदी सम्वत 2029 के बाद जो जमाबंदी पैमूद की गई उसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2029 के इन्द्राज के कतई विपरीत मौका की कब्जा काश्त के विपरीत रामदत कालू, दूधा पिसान बुधा, तिरखा, ताराचन्द, देवकरण, जगराम पिसान जीवन 4 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसके मुताबिक मृतक दूधा का 7वॉ हिस्सा दर्ज हुआ जबकि इन्द्राज रामदत, कालू, दूधा 3 हिस्सा व शेष तिरखा, ताराचन्द, देवकरण, जगराम 1 हिस्सा तथा शेष 1 हिस्सा मक्खन इस प्रकार 5 हिस्से खातेदारी के रहे है। जमाबंदी सम्वत 2035 में किया गया अमल न केवल पूर्व की जमाबंदी 2029 के बल्कि मौका की कब्जा काश्त के भी विपरीत किया गया है और इस गलत अमल का बाद में ताहाल पुनरावृति होती रही है। इस गलत अमल की आड़ में भरता, तिरखा, जगराम ने आराजी ख0 नं0 109, 110 का बेचान भी अपने से अधिक हिस्से का कर दिया एवं इसी कदर ख0 नं0 271 का भी गलत तौर से हिस्से से अधिक रकबा का बेचान किया गया है। तथा ख0 नं0 290/0.08, 391/0.

COURT FEE ₹6.2 INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY ₹2

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

08, 392/0.09, 393/0.08 का हिस्से से अधिक बेचान गलत तौर पर किया गया है। विवादित आराजी में से ख0 नं0 496, 497, 498, 499, 495, का भी बेचान गलत इन्द्राज के आधार पर हिस्से से अधिक रकबा का किया गया है कि जो बेचान मिन वादीगण का कुल 1/5 भाग हक हकूक वादीगण बातिल वो बेदखल है। मिन वादीगण जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ काश्तकार पेश व्यक्ति है और हम को इस गलत अमल की बाबत किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था बल्कि सामलात में अपने 1/5 हिस्से पर ही शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौका पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादीगण का विवादित आराजी के अपने 1/5 भाग पर शान्तिपूर्वक काबिज है जोकि मृतक दूधा से विरासत में मिला है और मृतक दूधा ने या हम वादीगण ने अपने 1/5 भाग का कभी कोई बेचान भी नहीं किया है इसलिए इस गलत अमल के कारण वादीगण के निहित हकूकों पर भारी कुठाराघात होता है व वादीगण स्वयं को 1/5 भाग के खातेदार करार दिलाने व इसी कदर जमाबंदी 2035 से ताहाल में अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है। मिन वादीगण को इस गलत अमल का कोई ज्ञान नहीं था। माह अप्रेल 2012 में आराजी की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने गये तो इस गलत अमल का ज्ञान हुआ जिस पर समस्त रिकॉर्ड की नकले एकत्रित की तब प्रतिवादीगणां से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो उन्होने कहा कि करा देंगे, परन्तु वे बाद में साफ इंकार हो गये और वादीगण को उनके 1/5 भाग से बेदखल करने व गलत अमल के कारण दीगर आराजीयात को मुन्तकिल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को हर सूरत में नापूर्ति होने वाली क्षति होगी दीगर मुकदमाबाजी में फंसना पड़ेगा। अपने हकूक खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है। वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत माह अप्रेल 2012 को पैदा होकर अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं0 15, 16 के बैक में विवादित आराजी रहन होने के कारण उसे पक्षकार मुकदमा बनाया है। प्रतिवादी सं0 17 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना चाहिए परन्तु प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को मुन्तकिल करने की जुस्तजु में है। जिससे की मामला आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 17 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। इसलिए उसे उफाऐ उज्रात 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। प्रतिवादिया सं0 9 छाजीबाई अपने हक हिस्से की रिलीज अपने भाईयों को कर चुकी है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण (अ) डिक्री इश्तकरारहक बहक वादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण हाल ख0 नम्बरान 58, 92, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 254, 269, 286, 297, 336, 359, 369, 370, 370/505, 371, 391, 392, 421, 436, 449, 489, 490, 491, 492, 493, 268, 390, 393, 57, 60, 496, 497, 498, 499, 495, 110, 109 वाके ग्राम बैराहड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर के 1/5 भाग के खातेदारान है व इसी कदर जमाबंदी 2035 से ताहाल में वादीगण के नाम 1/5 भाग का अमल कराया जावे। (ब) करार दिया जावे कि विवादित आराजी में से जो ख0 नं0 109, 110, 496, 497, 498, 499, 495, 290, 391, 392, 393 के हक हिस्से का बेचान वादीगण के हिस्से तक किया गया है वो हकूक वादीगण बातिल वो बेअसर है व वादीगण को कुल 1/5 भाग का खातेदार अंकित किया जावे। (स) प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी समस्त के 1/5 भाग से वादीगण को बेदखल ना करे, ना कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना ही कहीं किसी प्रकार से रहन-बय से मुन्तकिल करे।

प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार होने पर पुनः दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादी 16 द्वारा अपने जवाब में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं होना अंकित किया।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजियात में 1/5 रामदत, 1/5 कालू, 1/5 दूधा, 1/5 जीवन पुत्रान बुधा 4 हिस्सा व 1/5 मक्खन पुत्र खूबा 1 हिस्सा भाग की खातेदारी चाही गई है। इसी कदर मौके पर सभी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

5 हिस्सेदार व उनके वारिसान शान्ति पूर्वक अपने 1/5–1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये जवाब में समस्त पक्षकारान की लिखित सहमति भी अंकित है।

वादी द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू 1 दुलीचन्द, पी. डब्ल्यू 2 कृष्ण कुमार, के शपथ पत्र पेश किये गये।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने संयुक्त रुप से बहस में कथान किया कि मुताबिक जवाब सहमति के अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर वादीगण व प्रतिवादीगण सहमत हैं। अतः वादपत्र को डिक्री हिस्सेनुसार कर दिया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया व पत्रावली में पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात में वादी व प्रतिवादी 1 से 14 का 1/5–1/5 हिस्सा है व इसी कदर मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने अपने 1/5 – 1/5 हिस्से पर काश्त करना स्वीकार किया है। आ0ख0नं0 109,110 का व ख0नं0 390, 391, 392, 393 भरता तिरखा जयराम ने अपने हिस्से के अधिक हिस्से का बेचान किया । जो गलत किया गया है। इस अधिक बेचान किये रकबे का बयनामा बातिल व बेअसर करार दिया जाना उचित होगा व वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 14 को विवादित आराजी का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 14 को विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 58/0–05, 92/0.08, 96/0.12, 97/0–01, 98/0–13, 99/0–11, 111/0.07, 112/1–04, 113/1.08, 169/0–06, 170/0.07, 171/0–06, 172/0.07, 173/0.07, 175/0.11, 176/0.12, 177/0.11, 178/0.09,

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

179/0.09, 254/0.14, 269/0.10, 286/0.13, 297/0.12, 336/0.06, 359/0.06, 369/0.10, 370/0.10, 370/505/0.09, 371/0.12, 391/0.08, 392/0.09, 421/0.07, 436/0.11, 449/0.09, 489/0.11, 490/0.13, 491/0.13, 492/0.15, 493/0.15, 268/0.08, 390/0.08, 393/0.08, 57/0.05, 60/1.18, 496/0.09, 497/0.10, 498/0–07, 499/0.07, 495/0.08, 110/1.03, 109/0.09 बीघा वाके ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) वाके ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम में 1/5– 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/5 – 1/5 हिस्सा का अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण के ख0 नं0 109, 110, 271, 290, 391, 392, 393 वाके ग्राम बैराहेड़ी के वर्तमान में दर्ज वादीगण के हिस्से की आई अधिक आराजी को कलमजन कर कम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/2/16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner